द रंज फॉरेस्ट ऑफ़िसर बनाम एस. टी. हादीमानी

15 फरवरी, 2002

[बी. एन. किरपाल और अरिजीत पासायत, न्यायाधिपतिगण]

श्रम कानून - कर्मचारी - सेवाओं की समाप्ति - कर्मचारी का दावा कि उसने संबंधित वर्ष में 240 दिनों के लिए काम किया था और उसकी सेवाओं को बिना किसी छंटनी म्आवजे का भ्गतान किए समाप्त कर दिया गया था - प्रबंधन ने इस बात से इनकार किया कि कर्मचारी ने 240 दिनों के लिए काम किया था - ट्रिब्यूनल ने कहा कि कर्मचारी की सेवाओं को छंटनी का मुआवजा दिए बिना समाप्त कर दिया गया था और कि कर्मचारी का हलफनामा यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने एक वर्ष में 240 दिनों के लिए काम किया था और बर्खास्तगी को सही ठहराने के लिए प्रबंधन पर भार था - अभिनिर्धारित किया, न्यायाधिकरण प्रबंधन पर जिम्मेदारी डालने में सही नहीं था, पहले ठोस सबूत के आधार पर यह निधारित किए बिना कि कर्मचारी ने अपनी बर्खास्तगी से पहले वर्ष में 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था - कर्मचारी के दावे को प्रबंधन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, यह दिखाना कर्मचारी के लिए था कि उसने 240 दिन काम किया था - किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य

के अभाव में केवल हलफनामे में दिये गये बयान को पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता - सबूत का भार।

गुजरात राज्य बनाम प्रतम सिंह नरसिंह परमार, जे. टी. (2001) 3 एस. सी. 326, संदर्भित किया-

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 1283/2002 डब्ल्यू. ए. संख्या - 3962/1999 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के

मय

सी. ए. संख्या- 1284/2002

संजय आर. हेगड़े, अपीलार्थी के लिये।

निर्णय व आदेश दिनांक 25.11.1999 से ।

मोहन वी कटारकी और अशोक कुमार शर्मा, प्रत्यर्थी के लिये। न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था-

अनुमति दी गई।

वर्तमान मामले में, विवाद को श्रम न्यायालय को भेजा गया था कि प्रत्यर्थी ने 240 दिनों तक काम किया और उसकी सेवाये उसे कोई भी छंटनी का भुगतान किए बिना समाप्त कर दी गई थी। अपीलार्थी ने इसे

स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने 240 दिनों के लिये काम नहीं किया था। 10 अगस्त, 1998 के अपने निर्णय के अनुसार न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सेवा को बिना छंटनी का मुआवजा दिये समाप्त कर दिया गया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुये कि प्रत्यर्थी ने 240 दिनों के लिए काम किया था, न्यायाधिकरण ने कहा कि यह दिखाने का भार प्रबंधन पर था कि सेवा को समाप्त करने में औचित्य था और कर्मचारी का हलफनामा यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने एक वर्ष में 240 दिनों के लिए काम किया था।

हम जो विचार रख रहे हैं, उसके लिए इस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है कि क्या अपीलार्थी एक "उद्योग" है या नहीं, हालांकि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गुजरात राज्य बनाम प्रतम सिंह नरसिंह नरसिंह परमार, जे. टी. (2001) 3 एस. सी. 326 पर निर्भरता रखी गई है। हमारी राय में न्यायाधिकरण द्वारा पहले इस ठोस सबूत के आधार पर यह निर्धारित किये बिना कि प्रतिवादी ने अपनी बर्खास्तगी से पहले वर्ष में 240 दिनों से अधिक काम किया था, प्रबंधन पर जिम्मेदारी डालने मे सही नहीं था। दावेदार का यह प्रकरण था कि उसने ऐसा काम किया था पर यह दावा अपीलार्थी द्वारा नकार दिया गया। तब दावेदार के लिए यह दिखाने के लिए सबूत पेश करना था कि उसने वास्तव में अपने बर्खास्तगी से पहले के वर्ष में 240 दिनों के लिए काम किया

था। स्वंय के पक्ष में शपथ-पत्र प्रस्त्त करना उसका अपना बयान है और इसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के लिए इस निष्कर्ष पर पह्ंचने के लिए पर्याप्त सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है कि वास्तव में, एक कर्मचारी ने वेतन की प्राप्ति के प्रमाण में एक वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था। कामगार द्वारा 240 दिनों के वेतन या मजूदरी की प्राप्ति का कोई प्रमाण या निय्क्ति या नियोजन का आदेश या रिकॉर्ड इस अवधि के लिये प्रस्त्त नहीं किया गया था। मात्र इस आधार पर, पंचाट खारिज किये जाने योग्य है। हालांकि, विभाग के लिये उपस्थित श्री हेगडे ने कहा कि राज्य वास्तव में कानून को व्यवस्थित करने में रूचित रखता है और प्रतिवादी को आज से तीन महीने के भीतर, उसी शर्तो पर अन्कंपा के आधार पर रोजगार दिया जायेगा, जैसा कि उसकी बर्खास्तगी से पहले कथित तौर पर लगाया गया था।

उपरोक्त वर्णित शर्तो के आधार पर अपीलों का निपटारा किया जाता है।

अपीले निस्तारित की गई।